भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. ईसीआई/प्रे. नो./34/2021 दिनांकः 22 मार्च, 2021

प्रेस नोट

सभी निर्वाचनरत निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान दिवस और मतदान की तारीख से पूर्व 72 घंटे के दौरान बाईक रैलियों पर प्रतिबंध

आयोग के ध्यान में यह लाया गया है कि कुछ स्थानों पर मतदान से पूर्व और मतदान दिवस पर मतदाताओं को डराने के लिए कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बाइकों का उपयोग किया जाता है।

आयोग ने उपर्युक्त मुद्दे पर विचार किया है और यह निर्णय लिया है कि **सभी निर्वाचनरत निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान दिवस पर और मतदान की तारीख से 72 घंटे पूर्व किसी भी स्थान पर बाइक रैलियों को अनुमति नहीं दी जाएगी।**

इस संबंध में, निर्वाचन होने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को अनुदेश जारी कर दिए गए हैं जो आयोग की वेबसाइट : https://eci.gov.in पर उपलब्ध है।

ह./-

(पवन दीवान)

अवर सचिव